Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नगर निगम जयपुर–ग्रेटर का सहायक राजस्व अधिकारी (ए.आर.ओ.) 25 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास की तलाशी में मिली 5 लाख रुपये से अधिक की नगद राशि**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *11 मई, गुरूवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एस.आई.डब्ल्यू. इकाई, जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये दीपचंद सैनी सहायक राजस्व अधिकारी (ए.आर.ओ.) नगर निगम जयपुर–ग्रेटर को परिवादी से 25 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की एस.आई.डब्ल्यू. इकाई, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कोचिंग संस्थान के विज्ञापन होर्डिंग/बोर्ड़ नहीं हटाने तथा जब्त किये गये बोर्ड बिना कार्यवाही के लौटाने की एवज में दीपचंद सैनी सहायक राजस्व अधिकारी (ए.आर.ओ.) नगर निगम जयपुर–ग्रेटर द्वारा मासिक बन्धी के रूप में प्रतिमाह **1 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है तथा परिवादी के काफी अनुनय करने पर आरोपी प्रतिमाह **25 हजार रूपये** मासिक बन्धी के लिये तैयार हुआ है।

जिस पर एसीबी एस.आई.डब्ल्यू. इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ललित किशोर शर्मा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री चित्रगुप्त एवं पुलिस निरीक्षक श्रीमती मीना वर्मा** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये दीपचंद सैनी पुत्र स्व. श्री सेढ़ूराम सैनी निवासी बुलाका की ढ़ाणी, ठाठर कॉलोनी, आमेर, जयपुर हाल सहायक राजस्व अधिकारी (ए.आर.ओ.) नगर निगम जयपुर–ग्रेटर को परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि एसीबी टीम द्वारा कार्यवाही के दौरान आरोपी ए.आर.ओ. के कब्जे से कोचिंग संस्थान के पूर्व में जब्त किये **20 बोर्ड** की बरामद किये हैं। आरोपी ए. आर.ओ. के आवास की तलाशी में **5 लाख रुपये** से अधिक नगद भी बरामद किये गये हैं।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।